न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 76 / 2019 (2019 / 00043) प्रार्थना पत्र

उनवान

1— मूली बाई पत्नि लक्ष्मण खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1—नारायणलाल पिता मोहन जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—बद्री पिता मोहन जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

3—बालु पिता मोहन जाट निवासी केमुनिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

4—हरलाल पिता रूपा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

5—मांगु पिता रूपा जाट निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

6—अमीरन पत्नि भूरे खां मुसलमान निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

7—कृष्णा कंवर पत्नि घनश्याम सिंह राजपूत निवासी भींटा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. हरिश टेलर — अधिवक्ता प्रार्थीया

निर्णय

दिनांक 11.09.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1730 रकबा 0.02 हे0, 1758 रकबा 0.40 हे0, 1759 रकबा 0.41 हे0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.83 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 422 पर स्थित है। प्रमाण मे नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस साथ प्रस्तुत है। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास काटने मवेशी वगैरा चराने मे दरम्यान पक्षकारान आपस में बराबर सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है। जिससे प्रार्थीगण को अपनी उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा उक्त आराजियात की पत्थरगढी करवाने हेतु कहा लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को अंतिम बार दिनांक 08.05.2019 को कहा लेकिन विपक्षीगण पत्थरगढी कराने से इंकार हो गए, जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2019 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है और यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 12.06.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 से 03 व 5 व 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। एवं विपक्षी संख्या 4 व 7 के विरूद्ध प्रार्थीया के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम केमुनिया पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीया के खातदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1730 रकबा 0.02 हे0, 1758 रकबा 0.40 हे0, 1759 रकबा 0.41 हे0, कुल किता 03 कुल रकबा 0.83 हे0 भूमि राजस्व खाता संख्या 422 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीया सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थीया इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 11.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा